हत्या के प्रयास मामले में सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड पुलिस की कार्यशैली पर जताई कड़ी नाराजगी

पुलिस विश्वास बनाने में हो रही असफल: हाईकोर्ट

- आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट के आदेश का इंतजार क्यों करती है पुलिस
- लातेहार पुलिस भी अपने कर्तव्यों का समुचित निर्वहन नहीं कर पा रही

रांची, विशेष संवाददाता। हत्या के प्रयास मामले में सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को झारखंड पुलिस की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि पुलिस आखिर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अदालत के आदेश का इंतजार क्यों करती है। कोर्ट ने कहा कि यदि फरार आरोपियों को समय रहते गिरफ्तार कर लिया जाता, तो एक गवाह की जान बच सकती थी।

जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने साहिबगंज के एसपी को अदालत में तलब कर मामले की जानकारी ली। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि झारखंड पुलिस आम लोगों के बीच अपना विश्वास कायम करने में असफल हो रही है। कोर्ट ने राज्य में हाल के आपराधिक मामलों का जिक्र करते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि रांची के कोकर क्षेत्र से 18 माह की बच्ची के गायब होने की खबर समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है।

वहीं, बोकारो में वर्ष 2025 में लापता हुई युवती का कथित नरकंकाल बरामद होने का दावा पुलिस कर रही है। इसके अलावा वर्ष 2020 में बोकारो से गायब एक अन्य युवती के मामले में कोर्ट की मॉनिटरिंग शुरू होने के बाद जांच तेज हुई और हत्या का खुलासा हुआ। अदालत ने यह भी कहा कि लातेहार पुलिस भी अपने कर्तव्यों का समुचित निर्वहन नहीं कर पा रही है। दरअसल, साहिबगंज की निचली अदालत द्वारा हत्या के प्रयास मामले में सुनाई गई आठ वर्ष की सजा को चुनौती देते हुए सोनू यादव एवं अन्य ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल की है। अपीलकर्ताओं ने हस्तक्षेप याचिका (आईए) दायर कर जमानत की मांग भी की थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। मामले में पवन यादव, जिन पर आरोपियों ने गोली चलाई थी, ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा बढ़ाने को लेकर हाईकोर्ट में अलग याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई तक साहिबगंज एसपी को विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

हिरासत में मौत केस में फैसला सुरक्षित

रांची, विशेष संवाददाता। पलामू से हिरासत में मौत के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

सुनवाई के दौरान जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने मेडिकल रिकॉर्ड में कथित हेरफेर पर गंभीर नाराजगी जताई और स्पष्ट कहा कि मामले में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सुनवाई के दौरान मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (एमएमसीएच) के सुपरिंटेंडेंट, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट तथा ड्यूटी डॉक्टर अदालत में उपस्थित हुए। खंडपीठ ने मेडिकल रिपोर्ट से संबंधित मूल रजिस्टर तलब किया। रिकॉर्ड का अवलोकन करने के दौरान अदालत ने पाया कि रजिस्टर में ओवरराइटिंग और कथित हेरफेर के संकेत हैं। इस पर अदालत ने अधिकारियों से पूछा कि रिकॉर्ड में काट-छांट और ओवरराइटिंग क्यों की गई है, लेकिन तीनों संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। मामले में अदालत के समक्ष यह भी जानकारी आई कि पुलिस ने कोर्ट में अस्पताल द्वारा जारी एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें घायल अवस्था में होने के बावजूद युवक को फिट फॉर कस्टडी बताया गया था। इसी प्रमाणपत्र और मेडिकल रिकॉर्ड की सत्यता को लेकर अदालत ने गहन जांच की।

शिक्षक नियुक्ति मामले में खंडपीठ में सुनवाई 10 को

रांची, विशेष संवाददाता। स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2016 नियुक्ति मामले में मीना कुमारी प्रकरण से जुड़ी राज्य सरकार और जेएसएससी की लेटर पेटेंट अपील (एलपीए) पर झारखंड हाईकोर्ट में 10 जून को सुनवाई होगी।

सोमवार को चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में सुनवाई के दौरान जेएसएससी और राज्य सरकार की ओर से अपील पर शीघ्र सुनवाई का आग्रह किया गया। उन्होंने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने अपने मूल आदेश में संशोधन करते हुए फैक्ट फाइंडिंग कमीशन के अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की नियुक्ति कर दी है। जबकि, एकलपीठ के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई खंडपीठ में लंबित है। अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने भी सुनवाई शुरू कर दी है। ऐसे में समानांतर रूप से दो स्थानों पर सुनवाई उचित नहीं है। तब खंडपीठ ने अगली सुनवाई 10 जून को तय की।

धनबाद एसएसपी को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश

रांची, विशेष संवाददाता। वायरल वीडियो से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद के एसएसपी को जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया है। सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट के आदेश पर धनबाद एसएसपी सशरीर अदालत में उपस्थित हुए और बताया कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।

हाईकोर्ट ने एसएसपी का पक्ष सुनने के बाद उन्हें अगली सुनवाई से व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी। अब सुनवाई 11 जून को होगी। अदालत ने निर्देश दिया कि जांच तेजी से पूरी की जाए तथा अगली सुनवाई में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाए। अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता शैलेश कुमार सिंह ने पक्ष रखा।

अदालत के समक्ष यह तथ्य रखा गया कि युवती का वायरल वीडियो झारखंड नहीं, बल्कि गुजरात से वायरल किया गया था। इस पर कोर्ट ने गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि पुलिस को वीडियो को तत्काल हटाने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए थे।

पेसा नियमावली पर राज्य सरकार से जवाब तलब

रांची, विशेष संवाददाता। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित पेसा नियमावली को सही ढंग से लागू नहीं करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने सरकार को याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए बिंदुवार सवालों पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने पेसा नियमावली की मूल भावना के विपरीत संशोधन कर उसे लागू किया है। अदालत ने सरकार से पूछा है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए बिंदु सही हैं या नहीं तथा क्या संविधान के अनुरूप नियमावली में संशोधन किया गया है।

मूलवासी अधिकारों से हो रहे वंचितः याचिकाकर्ताओं का कहना है ... उन्हें वे अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं, जिनके वे हकदार हैं।

पुलिस जांच होने के बाद होगी सुनवाई

विष्णुगढ़ मामला

- हाईकोर्ट में केस डायरी, जांच रिपोर्ट व बच्ची की मृत्यु समीक्षा पेश की गयी
- खंडपीठ ने कहा-अनुसंधान पूरा होने का कोर्ट इंतजार करेगा

रांची, विशेष संवाददाता। हजारीबाग के विष्णुगढ़ में 12 वर्षीय बच्ची की हत्या के मामले में स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में केस डायरी, एफएसएल जांच रिपोर्ट और बच्ची की मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसका खंडपीठ ने अवलोकन किया। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और ... कहा कि अदालत मामले में पुलिस अनुसंधान पूरा होने का इंतजार करेगी। जांच पूरी होने के बाद ही मामले में आगे सुनवाई की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई जून माह में निर्धारित की गई है।

हजारीबाग के विष्णुगढ़ थाना में 12 वर्षीय बच्ची की हत्या का मामला दर्ज किया गया है। मामले में मृतका की मां ... भीम राम सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का आरोप है कि तंत्र-मंत्र के नाम पर बच्ची की हत्या की गई और इसमें भीम राम ने सहयोग किया। मामले की पहली सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया था कि बच्ची के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। कोर्ट के समक्ष घटना से संबंधित समाचार पत्रों की कटिंग भी प्रस्तुत की गई थी, जिसके बाद अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए झालसा सचिव और हजारीबाग एसपी को वर्चुअल रूप से तलब किया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट को जानकारी दी गई थी कि घटना 24 मार्च को हुई थी, जबकि प्राथमिकी 25 मार्च को दर्ज की गई। कोर्ट ने हजारीबाग एसपी से जांच की प्रगति, वैज्ञानिक अनुसंधान और आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर सवाल किए थे।

दिव्यांग आरक्षण केस में जेपीएससी से जवाब मांगा

रांची। झारखंड सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में दिव्यांग आरक्षण का लाभ नहीं दिए जाने से संबंधित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी से जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सोमवार को आयोग को शपथपत्र दाखिल कर यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि दिव्यांग आरक्षण श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों की तुलना में याचिकाकर्ता ... के प्राप्तांक अधिक हैं या कम, मामले की अगली सुनवाई 16 जून को होगी।

शहर 30s

रेल आईजी और डीआईजी ने सोमवार को हटिया रेल थाना का औचक निरीक्षण किया। दोनों ने पुलिसकर्मियों से ड्यूटी में आने वाली परेशानियों के बारे में भी जाना।

रेल आईजी ने किया थाने का निरीक्षण

रांची। रेल आईजी माइकल राज एस और डीआईजी आलोक प्रियदर्शी द्वारा संयुक्त रूप से रेल थाना हटिया का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में रेल थाना हटिया में पदस्थापित पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों से तीनों नये कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। ट्रेनों में आपराधिक घटनाओं के रोकथाम के दिशा-निर्देश दिये गये।

चेक बाउंस मामले में समझौते के बाद आरोपी बरी

रांची। न्यायायुक्त अनिल मिश्रा-1 की अदालत ने चेक बाउंस मामले में दोषी ठहराए गए सुनील श्रीवास्तव को राहत देते हुए उनकी सजा रद्द कर दी। अदालत ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच मेडिएशन सेंटर में समझौता हो चुका है, इसलिए आरोपी को बरी किया जाता है। निचली अदालत ने सुनील श्रीवास्तव को एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत दोषी करार देते हुए पांच महीने की साधारण कैद और 9 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था।

जमीन हस्तांतरण के आरोपी की बेल खारिज

रांची। अपर न्यायायुक्त एके तिवारी की अदालत ने फर्जी जमाबंदी और जमीन हस्तांतरण के आरोप में जेल में बंद आरोपी जितेंद्र कुमार को जमानत देने से इनकार कर दिया है। उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका सुनवाई के पश्चात खारिज कर दी। उस पर सार्वजनिक अभिलेखों में कथित जालसाजी और साजिश के गंभीर आरोप है। वह 21 अप्रैल से न्यायिक हिरासत में है।

चेक बाउंस मामले में सरेंडर करने का आदेश

रांची। न्यायायुक्त अनिल मिश्रा-1 की अदालत ने चेक बाउंस मामले में दोषी गणेश प्रजापति की अपील खारिज करते हुए निचली अदालत की सजा को बरकरार रखा है। अदालत ने आरोपी को निचली अदालत में सरेंडर कर सजा भुगतने का निर्देश दिया। मामला श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड से वाहन ऋण लेने से जुड़ा है। शिकायत के अनुसार, आरोपी ने टाटा सूमो खरीदने के लिए 1.50 लाख रुपये का लोन लिया था।

पीएलएफआई से जुड़े हत्या मामले में आरोपी बरी

रांची। बहुचर्चित हत्या और उग्रवादी संगठन पीएलएफआई से जुड़े मामले में अपर न्यायायुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत ने आरोपी सुख्या टोप्पो को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। करीब 12 साल पुराने इस मामले में अभियोजन पक्ष सिर्फ एक गवाह पेश कर सका, लेकिन वह भी अदालत में आरोपी की पहचान नहीं कर पाया। प्राथमिकी के अनुसार, 12 अक्तूबर 2014 को हथियारबंद लोगों ने किसान भिखेश्वर साहू के पुत्र बलकू साहू का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी थी।

चिकित्सा सुविधाओं को लेकर जताया आभार

रांची। दक्षिण पूर्व रेलवे मेन्स कांग्रेस के महामंत्री एनएल कुमार के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक डॉ अजनी ... से रांची में मिले। इस दौरान मंडल में चिकित्सा सुविधाओं में सुधार के लिए आभार जताया। मौके पर मनोज राय, बैद्यनाथ मंडल, सुभाष कुमार, कल्याण मिश्र, दिनेश यादव, लखन लाल यादव समेत अन्य ने जताया आभार।

म्यूटेशन में लापरवाही पर कर्मचारी पर आरोप पत्र गठित करने के आदेश

जनता दरबार

- डीसी के जनता दरबार में लोगों ने की शिकायत
- अनगड़ा में म्यूटेशन में लापरवाही की शिकायत

रांची, संवाददाता। डीसी मंजूनाथ भजंत्री के जनता दरबार में बड़ी संख्या में लोग अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर पहुंचे। ग्रामीण क्षेत्रों से आये लोगों की शिकायतों को प्राथमिकता देते हुए उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिये। अनगड़ा में जमीन म्यूटेशन में लापरवाही के मामले में डीसी ने तत्कालीन कर्मचारी पर आरोप पत्र गठित करने का आदेश दिया।

सोनाहातू में प्लॉट सुधार से जुड़े लंबित मामलों पर नाराजगी जताते हुए संबंधित अंचल अधिकारी को फटकार लगायी और एक माह के भीतर सभी मामलों के निष्पादन का निर्देश दिया।

सरकारी जमीन पर अतिक्रमण पर चेतावनी: मांडर में कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जे की शिकायत पर जांच के आदेश दिये गये। साथ ही सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को लेकर अंचल अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी गयी। भूमि अधिग्रहण मुआवजा भुगतान में देरी पर भी डीसी ने एनएचएआई से समन्वय स्थापित कर शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासन और जनता के बीच किसी प्रकार का गैप नहीं होना चाहिए।

इधर, दिखी संवेदनशील प्रशासन की तस्वीर

दूसरी ओर, डीसी मजूनाथ भजंत्री के जनता दरबार में सोमवार को संवेदनशील प्रशासनिक कार्यशैली की मिसाल देखने को मिली। जनता दरबार में पहुंचे दिव्यांग युवक शाहनवाज आलम की समस्या का त्वरित समाधान करते हुए डीसी ने उन्हें तत्काल इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल उपलब्ध कराई। पैरों से चलने में असमर्थ शाहनवाज हाथों के सहारे जनता दरबार पहुंचे थे। उनकी परेशानी सुनने के बाद डीसी ने प्रमाण-पत्रों की जांच करायी और कुछ ही देर में ट्राइसाइकिल उपलब्ध करा दी। डीसी स्वयं शाहनवाज को ट्राइसाइकिल तक लेकर गये और कार्यालय परिसर से बाहर तक छोड़ा।

डीसी मंजूनाथ भजंत्री के जनता दरबार में सोमवार को कई के चेहरे पर मुस्कान बिखरी। दिव्यांग शाहनवाज आलम की समस्या का त्वरित समाधान करते हुए डीसी ने उन्हें तत्काल इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल उपलब्ध कराई। डीसी खुद शाहनवाज को ट्राइसाइकिल तक लेकर गये और कार्यालय परिसर से बाहर तक छोड़ा। • हिन्दुस्तान

पांच महिलाओं समेत कई अभ्यर्थी निकले जेल से

पेपर लीक केस

रांची, संवाददाता। उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी के बाद जेल में बंद पांच महिलाओं समेत कई अभ्यर्थियों ने सोमवार को राहत की सांस ली। करीब 30 दिन जेल काटने के बाद अभ्यर्थी जमानत पर बाहर निकले।

तमाड़ पुलिस ने पेपर लीक मामले में 11 अप्रैल को उन्हें गिरफ्तार किया था। अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत ने बीते शुक्रवार को जेल में बंद 154 आरोपी अभ्यर्थियों की जमानत याचिका सुनवाई पश्चात स्वीकार की थी। शनिवार को माह का दूसरा शनिवार होने के कारण कोर्ट बंद था। इसके कारण दो दिन अतिरिक्त जेल में रहना पड़ा। गौरतलब है कि यह मामला तमाड़ थाना क्षेत्र के रड़गांव स्थित निर्माणाधीन नर्सिंग कॉलेज से जुड़ा है, जहां पुलिस छापेमारी में पेपर लीक और सौदेबाजी के संगठित रैकेट का खुलासा हुआ था।

मंच ने की उपनिदेशक को पदमुक्त करने की मांग

2019 में जारी अधिसूचना के अनुसार प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्ष निर्धारित थी

रांची। अबुआ अधिकार मंच के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को राज्यपाल के प्रधान सचिव के नाम लोक भवन सचिवालय में ज्ञापन सौंपा। इसमें उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में उपनिदेशक डॉ विभा पांडेय को तत्काल पदमुक्त कर उनके मूल कॉलेज वाईएसएनएम कॉलेज, मेदिनीनगर में भेजने की मांग की। मंच के युवा और छात्र कल्याण प्रभारी अभिषेक शुक्ला ने कहा कि डॉ विभा 2008 बैच की सहायक प्राध्यापक हैं और इसकी जांच सीबीआई कर रही है। ऐसे में उन्हें पद पर रखना उचित नहीं है। साथ ही उनका ग्रेड पे उपनिदेशक के लिए कम है। अभिषेक ने कहा कि डॉ विभा आठ वर्षों से उपनिदेशक हैं, जबकि वर्ष 2019 में जारी अधिसूचना के अनुसार प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्ष निर्धारित थी।

लातेहार स्टेशन में राजधानी एक्सप्रेस का होगा ठहराव

रांची। रांची- नई दिल्ली- रांची राजधानी एक्सप्रेस का लातेहार स्टेशन में अगले आदेश तक प्रायोगिक ठहराव होगा। रांची-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस शाम 7.28 बजे आएगी और दो मिनट बाद रवाना होगी। नई दिल्ली-रांची राजधानी सुबह 6.37 बजे आएगी।

बेटी बोली- पापा ने कुछ गलत नहीं किया

हि खास

■ निशि कान्त

रांची। कहते हैं गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, और जब यह गुस्सा अपनों के खिलाफ 'कानूनी हथियार' बन जाए, तो परिणाम भयावह होते हैं। रांची की विशेष पोक्सो अदालत ने अपनी ही 11 साल की बेटी से यौन उत्पीड़न के आरोपी पिता को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है।

यह फैसला केवल एक रिहाई नहीं, बल्कि समाज के लिए एक बड़ा सबक है कि कैसे आपसी कलह और शराब की लत एक हंसते-खेलते परिवार को अदालत की चौखट पर लाकर खड़ा कर देती है। इस पूरे केस का सबसे मार्मिक पहलू पीड़िता का बयान रहा। ट्रायल के दौरान मासूम बेटी अपने पिता के पक्ष में ढाल बनकर खड़ी हो गई। उसने अदालत में स्पष्ट कहा, मेरे पापा ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। बेटी के इसी सच ने पिता को उम्रकैद जैसी सजा के मुहाने से वापस खींच लिया। जेल में रहते आरोपी ने पूरा ट्रायल फेस किया। चुटिया पुलिस ने चार सितंबर 2025 को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। उसने सात महीने 18 दिन जेल काटे। घटना वाले दिन आरोपी नशे में था और घर में खाने को लेकर झगड़ा हुआ था।

गुस्से में दर्ज कराई थी आरोपी की मां ने प्राथमिकी

मामले की सुनवाई के दौरान चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब पीड़िता की दादी (आरोपी की मां) अदालत में अपने ही बयानों से मुकर गईं। उन्होंने स्वीकार किया कि उनका बेटा उनकी बात नहीं सुनता था, इसलिए उसे 'सुधारने' और 'सबक सिखाने' के लिए उन्होंने गुस्से में आकर पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी थी। दादी ने यह भी कहा कि वह अनपढ़ है और पुलिस ने उनसे सादे कागजों पर दस्तखत करा लिया था।

सीएमपीडीआई cmpdi
सेन्ट्रल माईन प्लानिंग एण्ड डिजाईन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड
CENTRAL MINE PLANNING & DESIGN INSTITUTE LTD
(कोल इण्डिया लिमिटेड की एक अनुषंगी ईकाई)
गोन्दवाना प्लेस, कांके रोड रांची - 834008, झारखण्ड, भारत

सूचना

"सामग्री, कार्यों एवं सेवाओं की खरीद हेतु सीआईएल एवं इसकी अनुषंगी कम्पनियों द्वारा जारी सभी निविदाएँ कोल इण्डिया लिमिटेड की वेबसाइट www.coalindia.in/सम्बंधित अनुषंगी कम्पनी (सीएमपीडीआई, www.cmpdi.co.in), सीआईएल ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल https://coalindiatenders.nic.in एवं सेन्ट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल https://eprocure.gov.in पर उपलब्ध है। इसके अलावा, जीईएम पोर्टल https://gem.gov.in के माध्यम से भी खरीद की जाती है।"

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
बैंक ऑफ बड़ौदा, डोरंडा शाखाः प्रथम तल, अरिहंत मार्केट, तुलसी चौक, पोस्ट – डोरंडा, जिला – रांची – 834002, झारखण्ड
अनुबंध-सी

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना "अनुबंध-IV-ए (अधिनियम 8 (2) एवं 8 (6) के प्रावधान देखें)

सिक्युरिटी इंटरेस्ट (इनफोर्समेंट) नियम 2002 के अंतर्गत 8 (2) एवं 8 (6) की धारा के साथ पठित प्रावधानों के अंतर्गत वित्तीय सम्पत्तियों की प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन एवं सिक्युरिटी इंटरेस्ट अधिनियम 2002 के तहत अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु नीलामी बिक्री सूचना। आम लोगों को तथा विशेष रूप से माग लेने वाले और प्रत्याभूति दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो सुरक्षित प्रतिभूति के पास गिरवी है उसका कब्जा बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकृत अधिकारी, सुरक्षित प्रतिभूति, द्वारा ले लिया गया है, उसे अधोवर्णित खाताओं की वसूली हेतु "जहाँ है, जैसा है, जो कुछ भी है, जो भी वहाँ है के आधार पर" बेचा जायेगा ऋणी / यों / बंधककर्ता / ओं / जमानतदार / रों / सुरक्षित सम्पत्ति / यों / बकायों / सुरक्षित मूल्य / ई-नीलामी की तारीख और समय, ईएमडी और बोली वृद्धि राशि का विवरण नीचे दिया गया है।

क्र. सं.	उधारकर्ता / ऋणकर्ताओं / गारंटर / बंधककर्ताओं का नाम और पता	सुरक्षित परिसंपत्तियों / अचल संपत्ति का विवरण	कुल बकाया / ई-नीलामी की तारीख और समय / प्रारंभ समय से अंत समय	सुरक्षित मूल्य / ईएमडी जमा / बोली वृद्धि राशि	कब्जे की स्थिति (रचनात्मक / भौतिक) / सम्पत्ति निरीक्षण की तारीख और समय
1.	ऋणी का नाम: मेसर्स आर आर फूड प्रोडक्ट्स मालिक: श्रीमती राधिका भारती रोड नंबर 4, कृष्णा पुरी, चुटिया, रांची, पिन-834001 श्रीमती राधिका भारती मालिक मेसर्स आर आर फूड प्रोडक्ट्स, रोड नंबर 4, कृष्णा पुरी, चुटिया, रांची, पिन-834001	साम्यिक बंधक के रूप में जमीन एवं मकान जिसका खाता संख्या 194, प्लॉट संख्या 760, थाना संख्या 211, वार्ड संख्या 48, होल्डिंग संख्या 048000347100020 है जो ग्राम - चुटिया, थाना - चुटिया, रांची में स्थित है जो श्रीमती राधिका भारती, पत्नी श्री राज कुमार साह के नाम पर दर्ज है जिसका क्षेत्रफल 3.42 डिसिमल है। जिसका चौहद्दी निम्न प्रकार है : उत्तर - आर एस प्लॉट संख्या 760 का भाग, दक्षिण - आर एस प्लॉट संख्या 760 का भाग, पूरब - आर एस प्लॉट संख्या 762, पश्चिम - 12 फीट की प्रस्तावित सड़क	₹. 43,52,984.35/- + ब्याज एवं शुल्क मांग सूचना के अनुसार दिनांक 10.07.2026 से एवं ₹. 40,05,069.02/- + ब्याज एवं शुल्क सहित दिनांक 04.06.2026 दोपहर 02:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक	Rs. 51,68,700.00 / Rs. 5,16,870.00 / Rs. 50,000.00	प्रतिकात्मक कब्जा / दिनांक 03.06.2026 को सुबह 10.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक

विक्रय की सभी शर्तें एवं दशाएं के लिए कृपया हमारे वेबसाईट लिंक https://www.bankofbaroda.in/e-auction एवं https://baanknet.com पर जायें / देखें। साथ ही प्रस्तावित बोलीकर्ता प्राधिकृत अधिकारी श्री आशुतोष के. आनन्द (मुख्य प्रबंधक) के मोबाईल सं 7542032144, 7542032104 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

दिनांक : 07.05.2026
स्थान : रांची

नोट : विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ्य मान्य होगा।

सं/- प्राधिकृत अधिकारी बैंक ऑफ बड़ौदा

शिव महापुराण कथा | सुकुरहुटू फुटबॉल मैदान में आयोजित सात दिवसीय शिव महापुराण कथा का समापन, अंतिम दिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी

माता-पिता व गुरु सेवा सबसे बड़ा धर्म: पंडित प्रदीप

रांची, वरीय संवाददाता। सुकुरहुटू फुटबॉल मैदान में आयोजित सात दिवसीय शिव महापुराण कथा का समापन रविवार को हर-हर महादेव के जयघोष के साथ हुआ। कथा के अंतिम दिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी और पूरा पंडाल शिवमय वातावरण में डूबा नजर आया। आयोजन में लगभग छह लाख श्रद्धालुओं ने कथा श्रवण कर पुण्यलाभ प्राप्त किया। कथा के सातवें एवं अंतिम दिन सुबह से ही श्रद्धालु पंडाल में पहुंचने लगे थे। प्रातः आठ बजे शुरू हुई कथा साढ़े ग्यारह बजे तक चली। इस दौरान श्रद्धालु पंडित प्रदीप के प्रवचनों को मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। पंडित प्रदीप ने अपने प्रवचन में माता-पिता, गुरु और भगवान शिव की सेवा को जीवन का सबसे बड़ा धर्म बताया। उन्होंने कहा कि

सुकरहुटू फुटबॉल मैदान में सोमवार को शिव महापुराण कथा के अंतिम दिन श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ी। • हिन्दुस्तान

जो व्यक्ति सच्चे मन से माता-पिता, गुरु और भगवान शिव की आराधना करता है, उसे तत्काल शुभ फल की प्राप्ति होती है। सेवा ही जीवन में सुख, शांति और सफलता का मार्ग है। उन्होंने आगामी सिंहस्थ कुंभ का उल्लेख करते हुए श्रद्धालुओं को उज्जैन आने का निमंत्रण दिया। साथ ही कहा कि उज्जैन से सीहोर की दूरी लगभग 150 किलोमीटर है, जहां श्रद्धालु शिव भक्ति और सत्संग का लाभ ले सकते हैं।

पंडित प्रदीप ने कहा कि जैसे दूध को मथने पर ही माखन प्राप्त होता है, उसी प्रकार ईश्वर की कृपा, सफलता और आशीर्वाद पाने के लिए निरंतर प्रयास, सेवा और समर्पण आवश्यक है। बिना श्रद्धा और परिश्रम के दिव्य फल की प्राप्ति संभव नहीं है। प्रवचन के दौरान उन्होंने रांची के मौसम की सराहना करते हुए हल्के-फुल्के अंदाज में चुटकी भी ली, जिससे पूरा पंडाल तालियों और ठहाकों से गूंज उठा। उन्होंने श्रद्धालुओं के प्रेम और आस्था की प्रशंसा करते हुए पुनः रांची आने की इच्छा जताई। पंडित प्रदीप का संदेश 'एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल' श्रद्धालुओं के बीच विशेष आकर्षण का केंद्र बना रहा।